केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

सूचना

केऔसुब में आरक्षक/ट्रेड्समैन की भर्ती–2024

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि : 05/03/2025 से 03/04/2025
अंतिम तिथि : 03.04.2025 (23:59 बजे तक)

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय पुरूष एवं महिला नागरिकों से पे **लेवल–3, (रू. 21,700 से 69,100/–)** में तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य भत्तों सहित **आरक्षक/ट्रेड्समैन के** अस्थाई पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति होने पर, वे केऔसुब अधिनियम एवं नियम के साथ–साथ समय–समय पर बल के अन्य सदस्यों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली द्वारा अधिशासित होंगें। वे 01 जनवरी, 2004 को अथवा बाद में केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू **नेशनल पेंशन सिस्टम के रूप में ज्ञात ''परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली''** के अनुसार पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। भर्ती प्रकिया में, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षण, ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी मोड) के तहत लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। भर्ती की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

1.1 आवेदन पत्रों को केवल **''ऑनलाइन''** माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।

1.2 शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी)/शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा/लिखित परीक्षा/चिकित्सा परीक्षण निर्धारित और आयोजित की जाएंगी।

1.3 लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के अंतर्गत केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में आयोजित की जाएंगी।

1.4 अपेक्षित पात्रता प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन मूल प्रतियों से पीईटी/ पीएसटी, दस्तावेजीकरण एवं ट्रेड परीक्षा के समय किया जाएगा।

1.5 आरक्षक (ट्रेड्समैन) की रिक्तियों को क्षेत्रीय आधार पर भरा जाएगा।

1.6 अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर लेने पर और इस अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा।

1.7 परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे। केऔसुब की भर्ती वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी अपडेट के लिए और परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है।

1.8 10 प्रतिशत रिक्तियों को वरीयता के आधार पर महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा जिसके न होने पर उसे पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

1.9 अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि निम्न प्रकार से होगी

आयु	01/08/2025
शैक्षिक अर्हता/जाति प्रमाण–पत्र इत्यादि	03/04/2025

2. वेतनमान : **पे–लेवल–3 (रू. 21,700–69,100/–)**

3. राष्ट्रीयता/नागरिकता : अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

4. <u>रिक्तियां</u> : आरक्षक /ट्रेड्समैन–2024 के पद के लिए खंडवार/ट्रेडवार/श्रेणीवार रिक्तियां निम्नानुसार हैं:–

पद का नाम/ट्रेड्	सीधी			भूतपूर्व सैनिक	कुल योग
	पुरूष	महिला	कुल		
आरक्षक /रसोइया	400	44	444	49	493
आरक्षक/मोची	07	01	08	01	09
आरक्षक/दर्जी	19	02	21	02	23
आरक्षक/नाई	163	17	180	19	199
आरक्षक/धोबी	212	24	236	26	262
आरक्षक/सफाईवाला	123	14	137	15	152
आरक्षक/पेंटर	02	00	02	00	02
आरक्षक/बढ़ई	07	01	08	01	09
आरक्षक/इलेक्ट्रिशियन	04	00	04	00	04
आरक्षक/माली	04	00	04	00	04
आरक्षक/वेल्डर	01	00	01	00	01
आरक्षक/चार्ज मैकेनिक	01	00	01	00	01
आरक्षक/एमपी अटेन्डेंट	02	00	02	00	02
कुल	**945**	**103**	**1048**	**113**	**1161**

<u>सीधी भर्ती (पुरूष) अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां</u>

पद का नाम / ट्रेड्	श्रेणी	उतरी खंड	एनसीआर खंड	पश्चिमी खंड	मध्य खंड	पूर्वी खंड	दक्षिणी खंड	उत्तरी पूर्वी खंड – II	उत्तरी पूर्वी खंड	कुल योग
आरक्षक/रसोइया	अनारक्षित	19	30	23	11	18	33	17	6	157
	अनुसूचित जाति	7	11	9	5	7	13	7	2	61
	अनुसूचित जनजाति	4	6	4	3	3	7	4	2	33
	अन्य पिछड़ा वर्ग	13	20	16	9	12	22	11	4	107
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	5	8	6	4	5	8	5	1	42
	कुल	**48**	**75**	**58**	**32**	**45**	**83**	**44**	**15**	**400**
आरक्षक/मोची	अनारक्षित	1	1	1	0	1	1	1	0	6
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**2**	**1**	**0**	**7**
आरक्षक/दर्जी	अनारक्षित	1	1	1	1	1	2	1	1	9
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	1	1	0	1	3	2	0	9
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**6**	**3**	**1**	**19**
आरक्षक/नाई	अनारक्षित	7	11	10	5	7	14	6	2	62
	अनुसूचित जाति	3	4	3	2	3	**11**	4	1	31
	अनुसूचित जनजाति	1	2	2	**1**	1	**2**	1	0	10
	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	8	6	4	5	9	5	2	44
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	2	3	2	1	2	3	2	1	16
	कुल	**18**	**28**	**23**	**13**	**18**	**39**	**18**	**6**	**163**
आरक्षक/ धोबी	अनारक्षित	9	15	13	5	9	16	10	3	80
	अनुसूचित जाति	4	7	5	3	4	7	4	1	35
	अनुसूचित जनजाति	2	3	2	2	3	3	2	1	18
	अन्य पिछड़ा वर्ग	7	11	8	5	6	12	6	2	57
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	3	4	3	2	2	5	2	1	22
	कुल	**25**	**40**	**31**	**17**	**24**	**43**	**24**	**8**	**212**

पद का नाम / ट्रेड्	श्रेणी	उत्तरी खंड	एनसीआर खंड	पश्चिमी खंड	मध्य खंड	पूर्वी खंड	दक्षिणी खंड	उत्तरी पूर्वी खंड – II	उत्तरी पूर्वी खंड	कुल योग
आरक्षक / सफाईवाला	अनारक्षित	6	10	6	4	6	9	6	2	49
	अनुसूचित जाति	2	3	3	2	2	4	2	1	19
	अनुसूचित जनजाति	1	2	1	0	1	3	1	0	9
	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	6	5	3	4	7	4	1	34
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	1	2	2	1	1	3	1	1	12
	कुल	**14**	**23**	**17**	**10**	**14**	**26**	**14**	**5**	**123**
आरक्षक / पेंटर	अनारक्षित	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**
आरक्षक / बढ़ई	अनारक्षित	1	1	1	1	1	1	1	0	7
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**7**
आरक्षक / इलेक्ट्रिशियन	अनारक्षित	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**4**
आरक्षक / माली	अनारक्षित	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	अनुसूचित जाति	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**4**
आरक्षक / वेल्डर	अनारक्षित	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
आरक्षक / चार्ज मैकेनिंग	अनारक्षित	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
आरक्षक / एमपी अटेन्डेंट	अनारक्षित	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
	कुल योग	**109**	**175**	**135**	**76**	**105**	**205**	**105**	**35**	**945**

सीधी भर्ती (महिला) अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां :–

पद का नाम / ट्रेड्	श्रेणी	उतरी खंड	एनसीआर खंड	पश्चिमी खंड	मध्य खंड	पूर्वी खंड	दक्षिणी खंड	उत्तरी पूर्वी खंड – II	पूर्वोत्तर खंड	कुल योग
आरक्षक / रसोइया	अनारक्षित	1	2	2	2	1	4	1	1	14
	अनुसूचित जाति	1	2	1	1	1	1	2	0	9
	अनुसूचित जनजाति	1	1	1	0	1	1	0	0	5
	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	2	1	1	1	2	1	0	9
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	1	1	2	0	1	1	1	0	7
	कुल	**5**	**8**	**7**	**4**	**5**	**9**	**5**	**1**	**44**
आरक्षक / मोची	अनारक्षित	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
आरक्षक / दर्जी	अनारक्षित	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**
आरक्षक / नाई	अनारक्षित	1	2	1	1	1	2	0	1	9
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	1	1	0	1	1	1	0	6
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**2**	**3**	**2**	**1**	**2**	**4**	**2**	**1**	**17**
आरक्षक / धोबी	अनारक्षित	2	1	2	1	2	2	1	0	11
	अनुसूचित जाति	0	1	1	0	1	1	0	0	4
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	1	1	1	0	1	1	1	7
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	कुल	**3**	**4**	**4**	**2**	**3**	**5**	**2**	**1**	**24**
आरक्षक / बढ़ई	अनारक्षित	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
आरक्षक / सफाईवाला	अनारक्षित	1	1	1	1	1	0	2	1	8
	अनुसूचित जाति	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य पिछड़ा वर्ग	0	1	1	0	1	2	0	0	5
	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**14**
	कुल योग	**12**	**19**	**15**	**8**	**12**	**22**	**11**	**4**	**103**

भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां

क्रम सं.	पद का नाम / ट्रेड्	रिक्तियों की कुल संख्या
1	आरक्षक / रसोइया	49
2	आरक्षक / मोची	1
3	आरक्षक / दर्जी	2
4	आरक्षक / नाई	19
5	आरक्षक / धोबी	26
6	आरक्षक / सफाईवाला	15
7.	आरक्षक / बढ़ई	1
	कुल	113

(प्रयुक्त किए गए संक्षिप्ताक्षर इस प्रकार हैः– यूआर– अनारक्षित, ईडब्लूएस– आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अपिव–अन्य पिछडा वर्ग, अजा– अनुसूचित जाति, अजजा– अनुसूचित जनजाति, ईएसएम– भूतपूर्व सैनिक और कांस्टेबल –आरक्षक)

4.1 ऊपर दी गई रिक्तियां संभावित हैं और ये भर्ती प्रक्रिया के समय प्रशासनिक कारणों से किसी भी समय / अवस्था में बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं। यदि रिक्तियों में कोई संशोधन होता है तो इसे केऔसुब भर्ती वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.cisf.gov.in पर अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले किसी भी चरण में अधिसूचित किया जा सकता है।

4.2 अजा / अजजा / अपिव / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रचलित सरकारी आदेशों के अनुसार उपलब्ध हैं। किसी आरक्षित श्रेणी (अजा / अजजा / अपिव / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थी किसी विशेष ट्रेड में रिक्तियों की अनुपलब्धता या अन्य कारणों से एक अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे अनारक्षित श्रेणी के लिए लागू नियम एवं शर्तों जैसे आयु सीमा, कद आदि को पूरा करते हैं।

4.3 उपर्युक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिवास की स्थिति का प्रतिबंध होगा। इस अधिसूचना के पैरा संख्या 8.2 के नीचे तालिका की कॉलम 2 में यथा उल्लिखित राज्यों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के नामों पर, राज्य द्वारा यथा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी वैध **''अधिवास प्रमाण–पत्र''** जो उनके अधिवास की स्थिति को सिद्ध कर सके, के प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी को उनके संबंधित भर्ती खंड जैसा की कालम –3 में दर्शाया गया है, में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं किए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता तुरंत निरस्त कर दी जाएगी और उन्हें भर्ती की अगली प्रक्रिया में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

4.4 इस अधिसूचना को , संबंधित भर्ती खंड के क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों की रिक्तियों को शामिल करते हुए जारी किया गया है। पुरूष / महिला अभ्यर्थी को केवल अपने गृह राज्य और भर्ती खंड जिससे वह संबंध रखता है, की विज्ञापित रिक्तियों के अधीन ही आवेदन करना होगा।

4.5 नियुक्ति के लिए चयन किए गए अभ्यर्थियों को भारतीय क्षेत्र और विदेश में सेवा प्रदान करने के लिए कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

4.6 केऔसुब बल सदस्यों के बच्चे जो उनके आवासीय राज्य / भर्ती खंड के अलावा अन्य राज्य में रह रहे हैं, भी आवेदन कर सकते हैं और उस भर्ती केन्द्र से आवेदन कर सकते हैं, जहां उनके पिता / माता तैनात हैं। तथापि, उन पर केवल भर्ती खंड के तहत दिए गए उनके वास्तविक अधिवासी गृह राज्य की रिक्तियों के अधीन विचार किया जाएगा। इस छूट का लाभ उठाने के लिए, उन्हें इस अधिसूचना में संलग्न प्रपत्र (**अनुलग्नक–X**) के अनुसार इकाई प्रभारी से जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। तथापि, वे उस राज्य / भर्ती खंड से, जहां से वे शामिल हो रहे हैं, यदि वे वास्तविक रूप से ऐसे राज्य / भर्ती खंड में वास्तविक रूप से नहीं रह रहे हैं, से छूट प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को पात्रता / छूट पर विचार भर्ती खंड के तहत दिए गए उनके अधिवासी राज्य के अनुसार लागू समझा जाएगा।

4.7 **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एक ट्रेड के लिए ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ट्रेड के लिए आवेदन प़त्र प्रस्तुत करता है तो केवल पहले आवेदन पत्र को आगे प्रकियाबद्ध किया जाएगा।**

4.8 आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में अपनी सही पहचान कार्ड संख्या (अर्थात् आधार नंबर, ड्राईविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड, विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र अथवा आयकर पैन कार्ड नंबर) को सही तरीके से भरना सुनिश्चित करना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रत्येक प्रतिस्पर्धा के दौरान परीक्षा केन्द्र पर प्रस्तुत करना होगा। भर्ती के प्रथम चरण के दौरान अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक डाटा तैयार किया जाएगा और उसे अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन करने के लिए भर्ती प्रकिया के तद्नुरूपी चरणों के दौरान उपयोग किया जाएगा।

4.9 **अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल शैक्षिक / अनुभव / जाति / अधिवास प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों को पीईटी / पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा के समय समुचित जांच / छंटनी के लिए लाना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी पात्रता के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी और किसी अन्य दिन पर दस्तावेजीकरण के लिए कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी और भर्ती की अगली प्रकिया में उन्हें भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।**

4.10 पद कम्बेटाईज्ड और पूर्णतः अस्थायी हैं परंतु इन्हें स्थायी किया जा सकता है।

4.11 आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में निम्नलिखित विवरण वाला जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र के अनुसार स्वीकार किया जा

सकता है, और उम्मीदवारों को संबंधित आरक्षित वर्ग की रिक्ति के अधीन भर्ती प्रक्रिया में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है :–

(क) अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा उससे संबंधित स्थान/गांव/कस्बा जिससे वे संबंध रखते हैं।

(ख) उपयुक्त/निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

(ग) जाति प्रमाण पत्र में भारत सरकार के प्राधिकरण संकल्प को सही तरीके से उल्लिखित किया गया है जो यह सिद्ध कर सके कि आरक्षित श्रेणी के अधीन अभ्यर्थी का दावा वास्तविक है।

(घ) अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित जाति उस श्रेणी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित समेकित सूची में उपलब्ध है।

4.12 यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं हैं तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को गैर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से भरा जाएगा ।

4.13 भूतपूर्व सैनिक, 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों और 2002 के गुजरात के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे/आश्रित किसी भी क्षेत्र में भर्ती के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। **तथापि, उन्हें उस जिले के जिलाधीश/जिला मजिस्ट्रेट जिसमें पीड़ित व्यक्ति मारा गया था से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

5. **प्रमुख विशेषताएं :**

5.1 अभ्यर्थियों को अपना आवेदन पत्र केऔसुब की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् https://cisfrectt.cisf.gov.in पर ऑनलाइन तरीके से ही प्रस्तुत करना चाहिए। आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका अनुमत नहीं है।

5.2 शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण का आयोजन केऔसुब द्वारा विभिन्न भर्ती केन्द्रों पर किया जाएगा।

5.3 सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के **अभ्यर्थियों से 100/– रू. का** आवेदन शुल्क लिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों और अ.जा., अ.ज.जा. और भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों से संबंधित को शुल्क अदायगी से छूट प्राप्त है।

5.4 नीचे यथा उल्लिखित भर्ती के सभी चरणों के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को केवल केऔसुब की भर्ती वेबसाइट अर्थात् https://cisfrectt.cisf.gov.in के माध्यम से जारी किए जाएंगे जिसे डाउनलोड करने की सुविधा होगी और डाक से नहीं भेजे जाएंगे।

क. पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा,

ख. लिखित परीक्षा,

ग. चिकित्सा परीक्षण,

अभ्यर्थियों को इसलिए यह सलाह दी जाती है कि वे केऔसुब की भर्ती वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in को, भर्ती प्रक्रिया संबंधी अधतन जानकारी के लिए नियमित रुप से विजिट करें। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र को परीक्षण/परीक्षा देते समय लाना अपेक्षित होगा।

5.5 **भर्ती के चरण निम्नानुसार होंगे :–**

(क) **पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा।**

(ख) **ओएमआर आधारित/सी बी टी मोड आधारित लिखित परीक्षा जो द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में होगी।**

(ग) **विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई)**

टिप्पणी :– उपरोक्त चरणों का कम प्रशासनिक कारणों/मौजूदा परिस्थितियों के कारण केऔसुब के विवेक से आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि प्रथम चरण में लिखित प्रीक्षा आयोजित की जाती है, तो दूसरे चरण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पूर्णतया लिखित परीक्षा में मेरिट पर निर्भर करेगी जिसके लिए अर्हक अंक अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 35 प्रतिशत, और अजा/अजजा/अ.पि.व. के लिए 33 प्रतिशत होंगे। तथापि, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को दूसरे चरण अर्थात् पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा में बुलाना आवश्यक नहीं होगा। दूसरे चरण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक पद और प्रत्येक श्रेणी के लिए रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी। तदनुसार, प्रत्येक श्रेणी के लिए कट–ऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।

5.6 लिखित परीक्षा सह मैरिट सूची आदि का खंडवार, ट्रेडवार और श्रेणीवार परिणाम निकाला जाएगा।

5.7 **वे अभ्यर्थी जो पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण एवं ट्रेड परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) में शामिल होने के लिए लिखित परीक्षा के उनके प्रदर्शन के आधार पर खण्डवार/ट्रेडवार और श्रेणीवार शार्टलिस्ट किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) के लिए शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या की लगभग 02 (दो) गुणा होगी।**

5.8 अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची केऔसुब भर्ती के वेबसाईट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर अपलोड की जाएगी।

5.9 भर्ती के किसी चरण के लिए बुलावा–पत्र जारी करने को पद के लिए अंतिम चयन नहीं माना जाएगा।

5.10 **सुव्यवस्थित, पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, बल विभिन्न चरणों में पर्याप्त उपायों और आधुनिक साधनों का उपयोग करेगा।**

5.11 **अयोग्यता**: कोई व्यक्ति बल में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा– अ) (क) जिसने उस व्यक्ति से विवाह या अनुबंध किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित है अथवा (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित है और उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या अनुबंध किया हो। परन्तु यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली निजी विधि के अधीन मान्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

(ब) सरकारी सेवा से बर्खास्त किए जाने पर

6. पात्रता मानदंड :–

6.1 शैक्षिक अर्हताएं:

प्रशिक्षित ट्रेड्स (अर्थात् नाई, बूटमेकर/मोची, दर्जी, रसोईया, राजमिस्त्री, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, धोबी, वेल्डर, इलेक्ट्रीशन और मोटर पंप सहायक) के लिए एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।

अप्रशिक्षित ट्रेड्स (अर्थात सफाईवाला) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष।

(राज्य बोर्ड/केन्द्रीय बोर्ड के अलावा शैक्षिक प्रमाण पत्र भारत सरकार की अधिसूचनाओं के साथ संलग्न होने चाहिए जिसमें यह घोषित किया गया हो कि ऐसी योग्यता केन्द्र सरकार के तहत मैट्रिक/दसवीं कक्षा पास के समकक्ष है।)

6.2 **आयु सीमा** **01.08.2025** को 18 से 23 वर्ष के बीच। आवेदक का जन्म 02.08.2002 से पहले और 01.08.2007 के बाद का नहीं होना चाहिए।

6.2.1

विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार है:–		
क.सं.	**श्रेणी**	**ऊपरी आयु सीमा से अधिक आयु में अनुमत छूट**
i)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक।
ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग	ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्ष तक।
iii)	**भूतपूर्व सैनिक**	**गणना की तिथि अर्थात ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 3 वर्ष।**
iv)	**1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रित और बच्चे**	अनारक्षित /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 08 वर्ष तक। अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष तक।
	बच्चों से तात्पर्य (क) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा (ख) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित)। **परिवार के आश्रित सदस्य से तात्पर्य** (क) पत्नी अथवा (ख) बच्चे अथवा (ग) भाई अथवा बहन जहां दंगों में मारा गया व्यक्ति अविवाहित हो और दंगों में मारे जाने के दौरान वे उस पर पूरी तरह आश्रित हो। **इस श्रेणी में ऊपरी आयु सीमा में छूट पाने के लिए आवेदकों को इस आशय का प्रमाण पत्र उस जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा जिसके क्षेत्र में पीड़ित मारा गया था।**	

6.3 शारीरिक मानक

पुरुष अभ्यर्थी :–

(क) कद (पैरा संख्या 6.3.1 में उल्लिखित के अलावा सामान्य, अनु.जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) –170 सेमी।

(ख) सीना (पैरा संख्या 6.3.1 में उल्लिखित के अलावा सामान्य, अनु.जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) –80–85 सेमी। (05 सेमी का न्यून्तम फुलाव)

महिला अभ्यर्थी :—

(क) कद (पैरा संख्या 6.3.1 में उल्लिखित के अलावा सामान्य, अनु.जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) —157 सेमी।

(ख) सीना— महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है।

6.3.1 विभिन्न श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानकों में अनुमत छूट निम्नानुसार है :—

क्रम सं0	निम्न के लिए छूट	कद		सीना	
		पुरूष	**महिला**	**पुरूष**	**महिला**
i)	गढ़वाली, कुमाउंनी, **गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर , जम्मू और कश्मीर के लेह व लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थी **अनुलग्लक—VI** के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर। **उपर्युक्त मानक सभी श्रेणियों (अर्थात सामान्य, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनु.जाति के लिए लागू है।**	165 सेमी	155 सेमी	78—83 सेमी(न्यूनतम फुलाव 5 सेमी)	लागू नहीं
	**दार्जिलिंग जिले के तीन उप—प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिमपोंग और कुर्सीयोंग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी और इन जिलों के निम्नलिखित ''मौउज़ा'' उप प्रभाग शामिल हैं:— (1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पनीघेटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारू (8) सुकना जंगल (9) सुकना भाग—1 (10) पंतापति जंगल—। (11) महानदी जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट पार्ट—।। (14) सितोंग जंगल (15) सिवोक पहाड़ी जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा चेंगा (18) नाईपेनिया।				
ii)	अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थी	162.5 सेमी	150 सेमी	76—81 सेमी (न्यूनतम फुलाव 5 सेमी)	लागू नहीं

6.4 **वजन** :— चिकित्सा मानकों के अनुसार कद और आयु के समानुपाती। शारीरिक मापन के समय वजन को रिकार्ड किया जाएगा परंतु वजन की वजह से फिटनेस का निर्णय विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के समय लिया जाएगा।

6.5 **चिकित्सा मानक** :— चयनित किए गए अभ्यर्थियों के शारीरिक एवं चिकित्सीय सौष्ठव की जांच का चिकित्सीय परीक्षण एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण का आयोजन उनकी शारीरिक एवं चिकित्सीय फिटनेस की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय के यूओ संख्या ए. VI—1/2014—भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी(मेडिकल)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए—1/2020 (पार्ट फाइल)/1166 दिनांक 31.05.2021 तथा सरकार द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती के लिए समरूप दिशा निर्देशों के अनुसरण में किया जाएगा। उसे उसमें वर्णित चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा।

6.5.1 आवेदक के घुटनों में टकराव न हों, समतल पैर, वेरीकोस वेन अथवा आंखों में भेंगापन न हो और उसकी उच्च रंग—भेद दृष्टि होनी चाहिए। अभ्यर्थी अच्छी मानसिक व शारीरिक दशा में हो और किसी भी प्रकार की भौतिक कमी जिससे उसके कार्य निष्पादन में बाधा पहुँचती हो, उससे मुक्त होना चाहिए।

6.5.2 **टैटू** : टैटू की अनुमेयता को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं:—

क) **सामग्री** : भारतीय सेना में पालन किए जाने वाले धार्मिक चिह्न अथवा आकृतियां अथवा नाम को दर्शाने वाले टैटू, अनुमत होंगे।

ख) **स्थान** : शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे कि अग्रभुजाओं के अंदरूनी हिस्सों पर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाईं भुजा के अग्रभाग, गैर सलामी अंग या हाथों के पृष्ठ पर होने के कारण अनुमति है।

ग) **आकार** : शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) से 1/4 से कम होना चाहिए।

टिप्पणी । :— वे अभ्यर्थी जिन्होंने **03.04.2025** को आवश्यक शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त नहीं किया है, पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी ।। :— अभ्यर्थियों को यह अवश्य नोट करना चाहिए कि आयु और नाम का निर्धारण करने के लिए केवल मैट्रिकुलेशन/सेकेन्डरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा एक समतुल्य प्रमाण पत्र में रिकॉर्ड की गई जन्मतिथि और नाम को स्वीकार किया जाएगा। जन्मतिथि में परिवर्तन संबंधी किसी तद्नुरूपी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.6 भूतपूर्व सैनिक जो थलसेना में सिपाही/लांस नायक हैं अथवा वायुसेना अथवा नौसेना में समतुल्य रैंक पर हैं, वे आरक्षक/ट्रेड्समैन के पद पर आवेदन करने के पात्र हैं। थलसेना/वायुसेना/नौसेना में सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, नायक अथवा समतुल्य

रैंकधारी भी भूतपूर्व सैनिक निम्नतर पदों की भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और साथ में वे यह लिखित में स्वीकारोक्ति प्रदान करें कि उनके चयन होने की स्थिति में वे रक्षा बलों में उनके द्वारा धारित रैंक के समतुल्य पद का दावा नहीं करेंगे।

एक ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है

(i) 'जिसने भारतीय संघ की नियमित थल, नौ सेना तथा वायु सेना के किसी भी रैंक (चाहे वर्दीधारी अथवा गैर वर्दीधारी) में सेवा की हो; और

(क) जो चाहे स्वयं के अनुरोध पर अथवा नियोक्ता से ऐसी सेवा से पेंशन लेने के पश्चात सेवानिवृत, कार्यभार मुक्त अथवा डिस्चार्ज कर दिए गए हों; अथवा

(ख) जो रक्षा सेवा पर आरोपणीय चिकित्सा आधार पर अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण सेवा मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेन्शन दी गई हों; अथवा

(ग) जो स्थापना में कमी होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किये गए हों; अथवा

(ii) जो ऐसी सेवा से नियुक्ति की एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद उनके स्वयं के अनुरोध करने के सिवाय ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों और उनको उपदान दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सेना के कार्मिक नामतः निरन्तर सेवा वाले अथवा सतत् अर्हक सेवा वाले पेंशनधारक भी शामिल हैं अथवा

(iii) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं तथा जो पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में बिना प्रत्यावर्तन के सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा रक्षा सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से सेवामुक्त हुए हों अथवा विकृति होने पर अथवा ऐसी परिस्थितियों जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; अथवा

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 6 माह से अधिक की अवधि के लिए सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों; अथवा

(v) क्षेत्रीय सेना कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता; अथवा

(vi) चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए अथवा सेवामुक्त तथा चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्राप्त पूर्व रंगरूट।

6.6.1 **आयु :** उन्हें अपनी वास्तविक आयु में से सेना सेवा की अवधि घटाने की अनुमति दी जाएगी, और परिणामी आयु पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6.6.2 **चिकित्सा श्रेणी :** सेवा मुक्ति के समय 'ए' (ए.वाई.ई.) अथवा ''शेप–1'' । उन्हें केऔसुब में आरक्षक/ट्रेड्समैन के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित समान चिकित्सीय मानकों को धारण करना होगा।

6.6.3 **सेवा मुक्ति के समय चरित्र :** आदर्श / बहुत अच्छा। सेवामुक्ति के प्रमाण पत्र की प्रति पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

6.6.4 **शैक्षणिक योग्यता :** मैट्रिक अथवा समतुल्य अथवा सेना प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र अथवा वायु सेना अथवा नेवी के समतुल्य।

6.6.5 अन्य पात्रता शर्तें वही रहेंगी जो पात्रता मानदंड में यथा उल्लिखित अन्यों के लिए लागू हैं।

टिप्पणी –I भूतपूर्व सैनिक जो अपने पुनः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण का लाभ उठाने के बाद केन्द्र सरकार के तहत नियमित आधार पर सिविल में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभों अथवा शुल्क में छूट का दावा करने के पात्र नहीं होंगे। तथापि, वे तदनुरुपी रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं यदि उसने सिविल रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात् संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन पत्रों के तिथिवार विवरण के बारे में संबंधित नियुक्ता का स्व–घोषणा/वचन दिया हो, जिसके लिए किया था जैसे कि उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में कार्य भार ग्रहण करने से पहले डीओपीटी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/01/2014 प्रशासन(रेस) दिनांक 14.08.2014 में यथा उल्लेख किया है।

टिप्पणी – II सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक के लिए 'कॉल अप सेवा' की अवधि को उम्र में छूट के प्रयोजन से सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

टिप्पणी – III संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी कार्मिक को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के प्रयोजन से एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाना चाहिए, उसने पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय उपयुक्त समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लिया हो और/अथवा वह अपनी अर्जित हकदारी को सक्षम अधिकारी के समक्ष दस्तावेजीय प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर सके कि वह सशस्त्र बलों के साथ काम करने की निश्चित शर्तों को ऑन लाईन आवेदन पत्र की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि में पूरा कर लेगा।

टिप्पणी – IV भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों के लिए आयु में छुट लागू नहीं है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रुप में नहीं दर्शानी चाहिए।

टिप्पणी – V भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय नागरिक सेवा और पदों में पुनः तैनाती) संशोधन नियमावली, 2012 में यथा उल्लिखित भूतपूर्व सैनिकों की पुनः तैनाती के लिए अन्य नियम और शर्तों के साथ–साथ समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य दिशा–निर्देश भी लागू होंगे।

टिप्पणी – VI भूतपूर्व सैनिकों को पीएसटी के समय मौजूद रहना होगा ताकि वे अपने माप, दस्तावेजीकरण को रिकार्ड करवा सकें और अपने शैक्षिक प्रमाण–पत्रों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकें। इन भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए पीईटी नहीं करवाई जाएगी। तथापि, उन्हें ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच में भी उपस्थित रहना होगा और उत्तीर्ण करना होगा। भूतपूर्व सैनिकों के चिकित्सा परीक्षण का आयोजन उनकी शारीरिक एवं चिकित्सीय फिटनेस की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 20.05.2015 के यूओ संख्या ए. VI–1/2014–भर्ती (एसएसबी) और गृह मंत्रालय के दिनांक 31.05.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई.–32012/एडीजी(मेडिकल)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1/2020 (पार्ट फाइल)/1166 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित के अनुसरण में किया जाएगा। उसे उसमें वर्णित चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा।

टिप्पणी VII संघ के सशस्त्र बलों में सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत होने पर 'भूतपूर्व सैनिक' की श्रेणी में आते हैं, वे सेवा की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सभी छूटों का लाभ ले सकते हैं परंतु वे संघ के सशस्त्र बलों की सेवा की विशिष्ट शर्तों को जब तक पूरा न कर दें उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित कमान्डिंग अधिकारी से **अनुलग्नक –'VIII'** के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

07 प्रमाणन की प्रकिया और प्रमाण–पत्रों का प्रपत्र :

7.1 वे अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के अधीन आवेदन करना चाहते हैं/अथवा जो आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/ भूतपूर्व सैनिक के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा। प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र इस अधिसूचना के साथ संलग्न किए गए हैं।

7.2 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी अधिवास की स्थिति प्रमाणित करने के लिए संबंधित राज्य / संघ शासित प्रदेश द्वारा यथा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध **"अधिवास/स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र (पी आर सी)"** प्रस्तुत करने पर उनके संबंधित राज्यों /संघ शासित प्रदेशों में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा ऐसा नहीं किए जाने पर उस पुरुष /महिला अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी। अधिवास/ पी आर सी प्रमाण पत्र उसी राज्य / संघ शासित प्रदेश का होना चाहिए जो अभ्यर्थी ने अपने ऑनलाइन प्रपत्र में दर्शाया है ऐसा नहीं किए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी।

7.3 अभ्यर्थी के अधिवासी राज्य के अलावा अन्य राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। जाति एवं अधिवास दोनों प्रमाण पत्र एक ही राज्य के द्वारा जारी किए होने चाहिए।

7.4 **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की जाति से संबंधित अभ्यर्थी को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने पर यह सूचित विकल्प दर्शाना होगा कि क्या वह आरक्षण का लाभ अपने मूल राज्य में लेना चाहता है अथवा वह स्थानांतरित होने वाले राज्य में अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में अपीयर होना चाहता है।** अभ्यर्थी को यह विकल्प अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरना होगा। ऐसे विकल्प को बदलने के किसी अनुरोध पर आयोग द्वारा ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने/विंडो में सुधार किए जाने के पश्चात विचार नहीं किया जाएगा। यदि एक अभ्यर्थी अपने मूल राज्य से आरक्षण के लाभ लेने का विकल्प चुनता है तो उस पुरुष /महिला अभ्यर्थी को आवेदन प्रपत्र में अपनी मौजूदा अधिवास के राज्य के साथ–साथ उस अभ्यर्थी को अपनी मूल राज्य के बारे में सूचना प्रदान करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अपने राज्य से अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तथापी उन अभ्यर्थियों को मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7.5 यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह घोषित करता है कि वह अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (अर्थात अधिवास का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) में चला गया है और अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से आरक्षण का लाभ नहीं लेने का विकल्प चुनता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को उसके अधिवास वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा, भले ही उसके पास जाति प्रमाण पत्र हो या न हो।

7.6 यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह घोषित करता है कि वह अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (अर्थात अधिवास का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) में चला गया है और अपने मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को मूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से/उसके आधार पर जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी अभ्यर्थिता को प्रवास के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (अर्थात अधिवास का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) से अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। तथापि, यदि अभ्यर्थी अधिवासित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अपेक्षित अधिवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल अस्वीकृत कर दी जाएगी।

7.7 अपिव के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाह रहे अभ्यर्थी को यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण–पत्र है और वह निर्णायक तिथि अर्थात् ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है।

7.8 ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण के लाभ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर लिया जा सकता है। आय एवं परिसंपत्ति के प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करने की निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन–पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

7.9 उपरोक्त के संबंध में, अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि संबंधित दस्तावेज की सत्यता नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से जांच किए जाने तक उनकी अभ्यर्थिता अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी यदि वे धोखे से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस का दावा करते हैं अथवा अन्य लाभ उठाते हैं।अभ्यर्थियों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उन्हें परीक्षा से स्थाई रूप से वंचित कर दिया जाएगा यदि वे धोखे से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक का दावा करते हैं।

7.10 चूकि आसाम राज्य अधिवास प्रमाण–पत्र/स्थायी आवास प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी नहीं करता है, आसाम राज्य से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों को उन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों से उनकी आवासीय स्थिति के सत्यापन के अधीन होगा।

7.11 पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर) जो कि जम्मू एवं कश्मीर में रह रहे हैं परंतु जिन्हे राज्य के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है, को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के नामित प्राधिकारी से अधिवास प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की शर्त के बगैर भर्ती किया जाएगा। अभ्यर्थी के गांव के सरपंच/नंबरदार द्वारा **अनुलग्नक** –XII के अनुसार जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी श्रेणी से संबंध रखता है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (चूंकि वे राज्य विधान सभा में वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं) में चुनाव के लिए मतदाता सूची में अभ्यर्थी का नाम दर्शाने वाली मतदाता सूची की एक प्रति के साथ को भर्ती के लिए उसके पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के प्रमाण के रूप मे माना जाएगा। जहां तक उपरोक्त शरणार्थियों से उनके अनुसूचित जनजातियों के होने का संबंध है, राज्य सरकार ने पहले ही उनके अनुसूचित जाति की स्थिति को दर्शाते हुए और विशिष्ट रूप से यह दर्शाते हुए कि अभ्यर्थी राज्य का स्थायी नागरिक नहीं है, परंतु साधारणतः गांव में रह रहा है, के प्रमाण–पत्र जारी कर दिए हैं। इन प्रमाण–पत्रों को तदनुसार उनकी अनुसूचित जाति के पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

8. आवेदन कैसे करें :–

8.1 आवेदन पत्रों को केऔसुब की वेबसाइट अर्थात् https://cisfrectt.cisf.gov.in पर ही ऑनलाइन तरीके से प्रस्तुत करना होगा। विस्तृत दिशा–निर्देशों के लिए, कृपया इस अधिसूचना के **अनुलगनक–I** को देखें। आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका अनुमत नहीं है।

8.2 प्रत्येक भर्ती खंड के तहत आने वाले राज्य/संघ क्षेत्र के नाम के विवरण निम्नानुसार हैं :–

क.सं.	**राज्य/संघ क्षेत्र का नाम**	**भर्ती खंड का नाम**	**आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्र के नाम पते सहित**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं राजस्थान	उत्तरी खंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (उत्तरी क्षेत्र) मुख्यालय, केऔसुब परिसर, पोस्ट–महिपालपुर, नई दिल्ली–110037 (ई मेल आई डी : dignz@cisf.gov.in)
2.	दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरखंड	एनसीआर खंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय, केऔसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी, पोस्ट–शिप्रा सन सिटी, जिला–गाजियाबाद, राज्य–उत्तर प्रदेश–201014 (ई मेल आई डी : rrc-ncrzone@cisf.gov.in)
3.	दादरा व नगर हवेली एवं दमण व दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	पश्चिमी खंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (पश्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, केऔसुब परिसर, सेक्टर–35, खारघर, नवी मुंबई – 410 210 (ई मेल आई डी : digwz@cisf.gov.in)
4.	छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश	मध्य खंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय, भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट–उतई, जिला–दुर्ग, राज्य–छत्तीसगढ़ – 491107 (ई मेल आई डी : digcz@cisf.gov.in)
5.	बिहार एवं झारखंड	पूर्वी खंड	वरिष्ठ कमाण्डेन्ट, केऔसुब द्वितीय आरक्षित वाहिनी, पोस्ट : धुर्वा, जिला : रांची, राज्य : झारखंड – 834004 (ई मेल आई डी : rb-2nd@cisf.gov.in)
6.	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, तमिलनाडू एवं तेलंगाना।	दक्षिणी खंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (दक्षिणी क्षेत्र) मुख्यालय, 'डी' ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसन्त नगर, चेन्नै, तमिलनाडू – 600090 (ई मेल आई डी : digsz@cisf.gov.in)

7.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, सिक्किम, ओडीशा एवं पश्चिम बंगाल	उत्तरी पूर्वी खंड – II	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र–2) मुख्यालय, परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनशिप (कस्बा), कोलकाता – 107 (ई मेल आई डी : dig-sez@cisf.gov.in)
8.	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा	उत्तरी पूर्वी खंड	उप महानिरीक्षक, केऔसुब (पूर्वोत्तर क्षेत्र) मुख्यालय, बेहरबारी, ए. जी. कॉलोनी के नजदीक, हॉकी स्टेडियम रोड, पोस्ट–बसिस्ठा, जिला–कामरूप, असम–781029 (ई मेल आई डी : dignez@cisf.gov.in)

8.3 **ऑनलाइन आवेदन पत्र मे अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित है :–**

- **फोटोग्राफ को अपलोड करना – जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही का स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर फोटो खीचने की तिथि छपी हो (अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो)।** फोटो की छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। **फोटो पर फोटो लेने की तिथि स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए । फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे।**

- **हस्ताक्षर को अपलोड करना**–जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 केबी से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।**

- **दस्तावेजों को अपलोड करना–** अभ्यर्थी को अपनी आयु, शैक्षिक अर्हता और अधिवास प्रमाणपत्र के संबंध में सभी संबंधित दस्तावेजों को **पीडीएफ प्रारूप** में स्कैन की गई प्रतियों **(1 एमबी से अधिक न हो)** को अपलोड करना अपेक्षित होगा।

8.4 ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा समय **03.04.2025 (23:59 बजे)** है।

8.5 **अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और वे अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण इंटरनेट की संभावित विच्छेदता/लॉग–इन न होना अथवा लॉग–इन में असफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें।**

8.6 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले अभ्यर्थियों को यह अवश्य जांच कर लेना चाहिए कि उन्होंने प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम में सही विवरण भरे हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/परिशुद्धि/संशोधन अनुमत नहीं किया जाएगा। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथों–हाथ आदि किसी भी रूप में प्राप्त हुए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.7 अभ्यर्थियों को ऑन लाईन आवेदन में स्वयं का सही एवं सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरने की सलाह दी जाती है। क्योंकि भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना उन्हें एसएमएस अथवा ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।

09. <u>आवेदन शुल्क</u> :

9.1 देय शुल्क : रूपए 100/– (रूपए एक सौ केवल)

9.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और आरक्षण के योग्य भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

9.3 शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड अथवा रूपे कार्ड और यूपीआई अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जेनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। उपर बताए गए तरीके के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.4 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान **03.04.2025 (23:59 बजे)** तक किया जा सकता है। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जो एसबीआई के चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं, वे इसका भुगतान एसबीआई की शाखाओं में कार्य घंटों के दौरान बैंक में **05.04.2025** तक नकद रूप में कर सकते है, बशर्ते उनके द्वारा चालान **03.04.2025 (23:59 बजे)** से पहले जेनरेट कर दिया गया हो।

9.5 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

9.6 अभ्यर्थियों से अपेक्षित आवेदन शुल्क प्राप्त न होने की स्थिति में (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) उनके आवेदन को सीधे तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

9.7 बैंक के लिए यथालागू शुल्क के अलावा प्रशुल्क/कर प्रभार को उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा।

9.8 आवेदन पत्र की शुरुआती तिथि अर्थात 05.03.2025 से पहले भुगतान किया गया शुल्क भी स्वीकार्य नहीं होगा।

10. **परीक्षा में प्रवेश**

10.1 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक स्वयं का पंजीकरण करते हैं और जिनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और वे इस अधिसूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे और उन्हें पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा में बुलाने के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तदनुसार, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरणों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

10.2 विभाग पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच करेगा। इसलिए, अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं, आयु, शारीरिक और चिकित्सीय मानकों आदि की अपेक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें यह स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए पात्र हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए किसी दावे की पुष्टि भर्ती की समग्र प्रक्रिया के दौरान नहीं होती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

10.3 अभ्यर्थियों को कोई भी पत्र भेजते समय अपना नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाईल संख्या अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के बिना अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.4 पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा, और चिकित्सा परीक्षण के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा को केऔसुब की वेबसाईट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर परीक्षा से पहले उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/केंद्र पर प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेकर आना होगा।

10.5 वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड न हो पाने के मामले में, अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा ,लिखित परीक्षा, अथवा डीएमई/आरएमई से कम से कम एक सप्ताह पहले केऔसुब से संपर्क करना चाहिए।

10.6 प्रवेश पत्र के अलावा, चार नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित (अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं) हो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जिस पर जन्म तिथि भली–भांति प्रिन्ट की हुई हो जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, (सरकारी/पीएसयू) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला अन्य पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

10.7 यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र (उदाहरणतया मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्डो द्वारा जारी अंक तालिकाएं, जन्म प्रमाण पत्र) लाना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को भर्ती प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.8 प्रवेश पत्र में उल्लिखित अन्य कोई दस्तावेज भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठते समय लाना होगा।

10.9 धुंधले फोटोग्राफ और/अथवा धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन प्रपत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

11. **भर्ती प्रकिया** :

11.1 हाईट बार टेस्ट (एचबीटी)/पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा :

11.1.1 **हाईट बार टेस्ट (एचबीटी)** : जिन अभ्यर्थियों के आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और क्रम में पाए जाते हैं उन्हें रॉल नम्बर दिया जाएगा और उन्हे विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित भर्ती के प्रथम चरण अर्थात पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, भर्ती केन्द्र पर अभ्यर्थी को हाईट–बार टेस्ट (एचबीटी) से गुजरना होगा।

11.1.2 जो अभ्यर्थी हाईट–बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से गुजरना होगा।

11.1.3 शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)

11.1.4 जो अभ्यर्थी हाईट–बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से गुजरना होगा।

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	महिला अभ्यर्थियों के लिए
1.6 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में	800 मीटर दौड़ 4 मिनट में

11.1.5 भूतपूर्व सैनिकों को केवल कद, सीना और वजन की माप दर्ज कराने के लिए पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ ट्रेड परीक्षा में उपस्थित होना होगा । इन भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए पीईटी आयोजित नही की जाएगी। तथापि, उन्हें ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा पास करनी होगी।

11.1.6 यह परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी। जो अभ्यर्थी दौड़ में उत्तीर्ण नहीं होते हैं उन्हें पीईटी/पीएसटी बोर्ड द्वारा कारण बताते हुए रिजेक्सन पर्ची देकर भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा और भर्ती की आगे की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीईटी (रेस/दौड़) में कोई अपील मान्य नहीं है।

11.1.7 **शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)** – वे अभ्यर्थी जो हाईट–बार टेस्ट और शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, सीना और वजन के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। आरक्षक (ट्रेडमैन) के पद के लिए शारीरिक मानक उपर पैरा 6.3 में विस्तारित किया गया है और छूट भी समय–समय पर भारत सरकार के आदेशों के अनुसार लागू होगीं।

11.1.8 ऊपर उल्लिखितानुसार कद और सीना (जैसा भी मामला हो) में छूट जहां वह आमतौर पर रहते है, केवल उन सक्षम प्राधिकारियों से अनुलग्नक–VI में निर्धारित प्रोफार्मा में पीईटी / पीसटी / दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा के समय अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकार्य होगी। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी वैध मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

11.1.9 जिन अभ्यार्थियों को शारीरिक मानक अर्थात कद और सीने में अयोग्य घोषित किया जाता है, वे उसी दिन, यदि वे चाहें तो, पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.1.10 निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी रिजेक्सन पर्ची देकर भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। हालांकि, वजन के आधार पर हटाने की प्रक्रिया चिकित्सा परीक्षण के समय की जाएगी। शारीरिक मानक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

11.1.11 **दस्तावेजीकरण** :–

पीईटी / पीएसटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी । वे अभ्यर्थी जो अपेक्षित मूल दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए निरस्त करने संबंधी स्लिप देते हुए भर्ती संबंधी प्रकिया से बाहर कर दिया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से अनुमत नहीं किया जाएगा।

(i) शैक्षिक प्रमाण पत्र

(ii) जन्म तिथि प्रमाण पत्र (मैट्रिक अथवा दसवीं पास होने का प्रमाण पत्र)

(iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र जो उनकी अधिवास संबंधी स्थिति सिद्ध कर सके।

(iv) अजा / अजजा और अपिव और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो। यह कमशः अनुलग्नक III, IV और V में यथानिर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो विज्ञापन सूचना में दर्शाए गए अनुसार नही हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(v) अभ्यर्थी के अधिवास निवास राज्य से भिन्न राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा अर्थात् दोनों प्रमाण पत्र (जाति और निवास) उसी राज्य के द्वारा जारी किए हुए होने चाहिए।

(vi) गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और जम्मू एवं कश्मीर के लेह और लद्दाख क्षेत्र गोरखा क्षेत्रीय प्रबंधन (जीटीए) राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी जिन्होंने कद और छाती में छूट देने के लिए अनुरोध किया है उन्हें अनुलग्नक–VI में दिए गए परिपत्र / प्रारूप में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(vii) सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र / प्रमाण पत्र **अनुलग्नक–VII & VIII** के रूप में तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अनुलग्नक IX में निर्धारित प्रपत्र में वचनबद्धता।

(viii) अनुलग्नक XI & XII में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों में काम करने वाले व्यक्तियों के मामले में उनके कार्यालय प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण पत्र/वचनबद्धता।

(ix) केऔसुब में सेवारत कार्मिकों के बच्चों के मामले में जो अपने गृह राज्य के अलावा दूसरे राज्य में आवेदन कर रहे हैं, उन्हें **अनुलग्नक**–**X** में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(x) डब्ल्यूपीआर (पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी) जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रह रहे हैं, के लिए पहचान पत्र अनुलग्नक xiii के अनुसार।

(xi) अभ्यर्थी की हाल की चार नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो जिस पर फोटो खीचने की तिथि छपी हो (अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो)।

(xii) अभ्यर्थियों को एक फोटोयुक्त पहचान पत्र **मूल रूप में** जैसे ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से जारी पहचान पत्र, आयकर पैनकार्ड अपने पास रखने चाहिए जिसके बारे में उन्होंने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है/भरा है।

(xiii) अभ्यर्थी की पहचान की जांच अधिकारियों के बोर्ड द्वारा पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के समय उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्रों से की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल (एलटीआर/आरटीआई/फिंगर्स इंप्रेशन) को पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड टेस्ट आयोजित करने से पहले पंजीकृत किया जाएगा जिसका उपयोग भर्ती के सभी आगामी चरणों में किया जाएगा।

11.1.12 **<u>ट्रेड परीक्षाः</u>**

क) एचबीटी, पीईटी, पीएसटी और दस्तावेजीकरण में उत्तीर्ण घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी। ट्रेड परीक्षा अर्हक प्रकार की होगी।

ख.) ट्रेड टेस्ट/प्रेक्टिकल आकलन किया जाएगा जिसका स्वरूप अर्हक प्रकार का होगा ।

1. **रसोईया (कुक)**

क) रोटी और चावल बनाना

ख) सब्जी/दाल/सांबर/इडली आदि बनाना

ग) मांस/मछली/अंडा/खीर बनाना

2. **<u>मोची</u>**

क) जूते पॉलिश करना

ख) औजारों का संचालन

ग) चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत व सिलाई करना

3. **<u>दर्जी</u>**

क) कार्मिकों का माप लेना

ख) कपड़ों की कटाई

ग) वर्दी सिलना

4. **<u>नाई</u>**

क) औजारों का संचालन

ख) बाल काटना

ग) दाढ़ी बनाना

4. **<u>धोबी</u>**

क) कपड़ो की धुलाई

ख) सूती खाकी वर्दी पर प्रेस

ग) ऊनी, टेरीकॉट वर्दी पर प्रेस

6. **<u>सफाईवाला</u>**

क) झाड़ू लगाना

ख) शौचालय की सफाई

ग) स्नानागार इत्यादि की सफाई

7. **<u>पेंटर</u>**

क) रंग, पेंट और शेड्स का ज्ञान

ख) साईन बोर्ड की पेंटिग

ग) रंगाई/चित्रांकन

8. **<u>बढई</u>**

क) औजारों का संचालन

ख) लकड़ी काटना

ग) फिटिंग, पौलिस और सामग्री की फिनिशिंग

9. **<u>इलेक्ट्रीशियन</u> :**

क) एसी/डीसी करंट का ज्ञान

ख) नई इलेक्ट्रीक फिटींग करना

ग) इलेक्ट्रीक फाल्ट का सुधार

10. **<u>माली</u>**

क) बागवानी व कलम बनाना

ख) पौधों का रख-रखाव

ग) बीज और उनकी बुआई के मौसम का ज्ञान, उर्वरक की सेती देसेती।

घ) स्वदेशी खाद की जानकारी

11. **<u>वेल्डर</u>**

क) वेल्डिंग औजारों की जानकारी

ख) ए आर सी वेल्डिंग–प्रेक्टिकल

ग) गैस वेल्डिंग–प्रेक्टिकल

12. **<u>चार्ज मैक</u> :**

क) एसी और डीसी करंट का ज्ञान

ख) वोल्टेज प्राप्ति/वितरण /उपभोग का ज्ञान

ग) स्वीचबोर्ड और फाल्ट अटेंडेंस का ज्ञान

13. **<u>मोटर पम्प अटैंड (एमपी अटैंड)</u>** :

क) पम्प का ज्ञान

ख) मोटर का ज्ञान

ग) मरम्मत का ज्ञान

11.2 <u>लिखित परीक्षा</u> :

जो अभ्यर्थी पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा में पास होंगे वे ही ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षा में बुलाएं जाएंगे।

11.2.1 वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र, जिसे ओएमआर शीट/सीबीटी पर हल करना होगा, 100 अंकों का होगा और इसकी अवधि 2 घंटे होगी। इसमें 100 प्रश्न होंगे, जो **सामान्य जागरूकता/सामान्य ज्ञान, प्राथमिक गणित का ज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता, पैटर्न को पहचानने और भेद करने की क्षमता तथा हिंदी/अंग्रेजी में अभ्यर्थी के मूलभूत ज्ञान** की जांच पर आधारित होंगे। प्रश्नपत्र द्विभाषी (अंग्रेजी/हिंदी) में होगा। इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

11.2.2 अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्नानुसार होंगे :–

अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक	: 35%
अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व.	: 33%

टिप्पणी– सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम के लिए 35 प्रतिशत और अजा/अजजा/अपिव के लिए 33 प्रतिशत अर्हक अंक से यह तात्पर्य नहीं है कि जिन अभ्यर्थियों ने क्रमशः 35 प्रतिशत और 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए होंगे, जैसा मामला होगा, उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। अगले चरण के लिए अभ्यर्थियों को पूर्णतया लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन/अर्जित किए गए अंकों के आधार पर और कट–ऑफ अंक (भर्ती सेक्टर/ट्रेड/श्रेणीवार) जो कि लिखित परीक्षा के पूरा होने के पश्चात निर्धारित किए जाएंगे, बुलाया जाएगा।

11.2.3 परीक्षा की तिथि की सूचना अभ्यर्थियों को केवल केऔसुब की भर्ती वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in के माध्यम से दी जाएगी। लिखित परीक्षा का केंद्र/दिनांक बदलने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

11.2..4 **लिखित परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद केऔसुब की भर्ती वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी को देखकर ऑनलाइन अभ्यावेदन यदि कोई हो, निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक प्रश्न के लिए ₹100 शुल्क का भुगतान कर दर्ज करा सकते हैं। किसी अन्य माध्यम, जैसे पत्र, आवेदन आदि के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें। उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने से पूर्व उत्तर कुंजी से संबंधित अभ्यावेदन की समीक्षा विशेषज्ञों के पैनल द्वारा की जाएगी, और इस संबंध में विशेषज्ञों का निर्णय ही अंतिम होगा।**

11.2.5 अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.2.6 यदि लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) दो या अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा तथा ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग भर्ती के अगले चरण अर्थात चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) के लिए योग्यता हेतु मेरिट सूची तथा कट ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

12. <u>चिकित्सा परीक्षाः</u>

12.1 केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा और लिखित परीक्षा उतीर्ण की है, उन्हें चिकित्सा परीक्षण में उपस्थित होने के लिए लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में उनके प्रदर्शन के आधार पर सेक्टर वार (प्रत्येक श्रेणी में ट्रेड) और श्रेणीवार शार्टलिस्ट किया जाएगा। **चिकित्सा परीक्षण के लिए शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से लगभग 02 (दो) गुणा होगी।** अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, गृह मंत्रालय के यूओ संख्या ए. VI–1/2014–भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी(मेडि)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1/2020 (पार्ट फाईल)/1/1166 दिनांक 31.05.2021 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी।

12.2 अभ्यर्थी या तो **फिट या अनफिट** घोषित किए जाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी अस्थायी रूप से अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा।

12.3 सभी मामलों में, एक अभ्यर्थी जिसे चिकित्सा परीक्षा में नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित किया गया है, को जांच चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखित रूप में व्यापक रूप से अस्वीकृति के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे अनफिट होने के कारणों का संकेत देते हुए अपने हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमति दें। अभ्यर्थियों का आरएमई डीएमई के अगले दिन अधिमानतः डीएमई की निरंतरता में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आरएमई के लिए सहमति, अभ्यर्थी द्वारा डीएमई में अपनी अयोग्यता के बारे में सूचित किए जाने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

टिप्पणी: वर्णांधता परीक्षण एक बार भर्ती के दौरान और बाद में पुनः बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान किया जाएगा।

13 <u>चयन का तरीका/अंतिम चयन सूची तैयार करना</u> :

13.1 **पीईटी/ पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के पूरा होने के पश्चात, लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों और भर्ती सेक्टर को आवंटित रिक्तियों की संख्या के आधार पर खण्डवार, ट्रेडवार और श्रेणीवार वरीयता सूची सामान्य, अजा, अजजा, अपिव, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से तैयार की जाएगी।**

13.2 **<u>टाई मामलों का समाधान</u>** : लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों के बराबर होने की स्थिति में, ऐसे मामलों का समाधान दिए गए क्रम में एक के बाद एक, निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके हल किया जाएगा, जब तक कि टाई का समाधान नहीं हो जाताः

i) अभ्यर्थियों की उम्र का हवाला देकर अंकों में टाई को हल किया जाएगा अर्थात् ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी;

ii) यदि फिर भी टाई का समाधान नहीं होता है तो अभ्यर्थियों की लम्बाई की तुलना करके समाधान किया जाएगा अर्थात् जिस अभ्यर्थी की लम्बाई अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी;

iii) यदि फिर भी बराबरी रहती है तो इसका समाधान अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता के द्वारा किया जाएगा अर्थात् उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

iv) यदि फिर भी टाई का समाधान नहीं होता है तो अंततः नाम के वर्णानुक्रम के अनुसार समाधान किया जाएगा अर्थातः वर्णानुक्रम (अंग्रेजी) के अनुसार जिस अभ्यर्थी के नाम का पहला अक्षर दूसरे अभ्यर्थी के नाम के पहले अक्षर से पहले आएगा उसे वरीयता दी जाएगी।

13.3 बशर्ते अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. और ईडब्लूएस. के अभ्यर्थी जो बिना छूट के अपनी मैरिट सूची मे चयनित होता है, वह रिक्तियों के आरिक्षत हिस्से के तहत समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अ.जा./अ.ज.जा/ अ.पि.व. और ईडब्लूएस. अभ्यर्थियों को समस्त मैरिट सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को योग्य अजा/अजजा, अ.पि.व और ईडब्लूएस. के अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा, जो कि इस प्रकार अजा, अजजा, अ.पि.व और ईडब्लूएस. के अभ्यर्थी जिनकी मैरिट अनारिक्षत वर्ग की मैरिट सूची के अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से कम होगी लेकिन वह आरक्षित मानकों द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता हो।

13.4 परीक्षा में सफलता नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करती है, जब तक कि सरकार इस तरह की जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाती है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13.5 अंतिम परिणाम केऔसुब की भती वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.cisf.gov.in पर प्रदर्शित किया जाएगा।

टिप्पणी.। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि **वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं।** उनका परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रवेश पूर्णतः अनंतिम और निर्धारित पात्रता शर्तो को पूरा करने के अध्याधीन होगा। यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा जांच से पहले या बाद में किसी भी समय जांच में यह पाया जाता है कि वे किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करते है तो उनकी परीक्षा के लिए अभ्यर्थिता विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी II **यदि भर्ती प्रकिया के दौरान किसी भी समय किसी भी कारण से कोई अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है अथवा तथ्य छुपाने के मामले में, उसकी अभ्यर्थिता /चयन/नियुक्ति तदनुसार निरस्त की जा सकती है।**

टिप्पणी III यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियां योग्य अथवा पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण शेष रह गई हैं तो उन्हें गैर भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाएं तथा पदों में पुनः रोजगार) नियम 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में संबंधित ट्रेड/श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

टिप्पणी IV यदि पात्र या योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण महिला रिक्तियां रिक्त रहती हैं, तो इसे संबंधित ट्रेड के पात्र पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

टिप्पणी V **कोई आरक्षित/प्रतीक्षा सूची नहीं रखी/बनाई जाएगी।**

14. <u>निर्णयः</u> पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए जुर्माना, चयन प्रक्रिया, परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केन्द्रो का आबंटन और मैरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों मे बोर्ड/विभाग के निर्णय अंतिम होंगे और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होंगे तथा इस संबंध में कोई जांच पड़ताल/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

15. <u>न्यायालय निर्णय</u> : इस भर्ती के संबंध में कोई विवाद उस न्यायालय /अधिकरण के अधीन होगा जिसका अधिकार क्षेत्र केऔसुब का भर्ती केन्द्र उस शहर/कस्बे में स्थापित हो अथवा जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन जमा करवाया है।

16. <u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपर्ण दिशा–निर्देश</u> :

16.1 आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी परीक्षा की सूचना में दिए निर्देशों अर्थातः अपनी शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों आदि की आवश्यकताओं की सावधानीपूर्वक जांच कर लें और खुद को संतुष्ट कर लें कि वे पद के लिए पात्र हैं।

16.2 इस परीक्षा के नोटिस के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम या अन्य छूट जैसे आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं। जब प्रमाण पत्रों की प्रतियां मांगी जाएंगी, तो उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में संबंधित मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए।

16.3 मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों का सत्यापन दस्तावेजीकरण के समय किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। जब दस्तावेजीकरण के समय दस्तावेज की जांच की जाती है, और यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

16.4 **दिव्यांग व्यक्ति (पी.डब्ल्यू.डी) इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**

16.5 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई–मेल पता और मोबाइल नंबर भरें क्योंकि महत्वपूर्ण पत्राचार ई–मेल/ एसएमएस के माध्यम से किया जा सकता है।

16.6 देय शुल्क 100/ रुपए (केवल एक सौ रुपए) । महिला अभ्यर्थी एवं आरक्षण के लिए योग्य अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के पात्र अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है।

16.7 अभ्यर्थियों कों अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम अपने दसवीं के प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार लिखना चाहिए अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता दस्तावेजों की जांच के बाद या फिर जब कभी नोटिस में आएगा तो रद्द कर दी जाएगी।

16.8 ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को अपना रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर विधिवत रूप से वह तिथि उल्लिखित हो जिस तिथि को फोटो लिया गया हो, **(अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी न हो)** आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अधिवास प्रमाण पत्र के संबंध में सभी संबंधित दस्तावेजों की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करने की आवश्यकता है।

16.9 **अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में आधिवासी राज्य और जिले के बारे में जानकारी प्रदान करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने के बाद आधिवासी राज्य और जिले के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा । यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र और दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा जमा किए गए आधिवासी प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित जिले और/या राज्य में कोई भिन्नता पाई जाती है तो उनकी अभ्यर्थिता तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उन्हें दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

16.10 परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय उचित अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं तो सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।

16.11 धुंधली/अस्पष्ट फोटो/हस्ताक्षर अथवा तिथि रहित फोटो वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

16.12 अपूर्ण सूचना/गलत सूचना/अधूरे अपेक्षित प्रमाण पत्र/तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने/अहस्ताक्षरित छोड़ देने/ देय शुल्क के बिना जमा करने के कारण आवेदन को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

16.13 किसी भी परिस्थिति, में एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक/फैक्स/ईमेल/हाथ आदि के माध्यम से प्राप्त ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

16.14 जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाए तो इसे ''अनंतिम रूप से'' स्वीकार कर लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन का प्रिंट आउट ले लेना चाहिए। ''आवेदन प्रपत्र'' का प्रिंट आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

16.15 किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़ंत आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

16.16 अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक वर्दीधारी बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा और वे भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एजेंसी/केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे।

16.17 यदि कोई अभ्यर्थी पीईटी के दौरान किसी ऊर्जावान दवाई/औषधि आदि के प्रभाव में पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

16.18 अभ्यर्थी आवेदन भरने और पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा आदि के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए हेल्प लाइन नंबर पर **011–24366431/24307933 (केवल कार्य दिवस पर 1000 से 1800 बजे तक)** संपर्क कर सकते हैं।

16.19 भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था के तहत 2–3 दिनों तक ठहरने के लिए विधिवत तैयार होना चाहिए। **यात्रा और ठहरने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।**

16.20 यदि कोई भी अभ्यर्थी पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में या उसके बाद कदाचार के किसी भी कार्य में संलिप्त पाया जाता हैं तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वह उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

16.21 हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा, किसी भी प्रमाण पत्र का अनुवाद (हिंदी अथवा अंग्रेजी में) करके ही संलग्न करें अन्यथा इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

16.22 किसी भी प्रकार का अनुयाचन अथवा किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव डालने पर अभ्यर्थियों को स्वतः ही बिना किसी सूचना के परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

16.23 संबंधित ट्रेड की सही योग्यता, क्षमता, फिटनेस और ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

16.24 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती के लिए आने से पहले दौड़/पीईटी के लिए पर्याप्त अभ्यास करें। उन्हें आगे सलाह दी जाती है कि वे दिए गए समय में निर्दिष्ट दूरी को दौड़ने के लिए अपनी उपयुक्तता के संबंध में अपना चिकित्सकीय परीक्षण करवाएं। भर्ती प्रक्रिया/परीक्षा के दौरान किसी भी चोट/दुर्घटना या चिकित्सा समस्या के लिए केऔसुब या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

16.25 कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए या प्रतिरूपण का सहारा लेते हुए पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। अभ्यर्थी का रूप धारण करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ आईपीसी/बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को केऔसुब में भविष्य की भर्ती के लिए आवेदन करने से वर्जित कर दिया जाएगा।

16.26 दलाल के रूप में काम करने वाले या दलाल की मदद लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ आईपीसी/बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

16.27 अभ्यर्थियों को भर्ती के प्रत्येक चरण में उपस्थित होना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी चरण/इवेंट में उपस्थित नहीं होता है जिसके लिए उस अभ्यर्थी ने अर्हता प्राप्त की है तो उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

16.28 यदि कोई अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।

16.29 **केऔसुब के महानिदेशक बिना कोई कारण बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।**

16.30 विभाग को विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन करने या बिना कोई कारण बताए उसे रद्द करने का अधिकार है। इसके अलावा, यहां उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।

16.31 चयनित अभ्यर्थियों को केऔसुब के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में बुनियादी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा जिसके लिए उन्हें अलग से नियुक्ति पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। वे 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होंगे जिसे बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, यदि वे किसी कारण से अनफिट पाए जाते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

16.32 केऔसुब पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ फिट, प्रतिबद्ध, ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों की भर्ती करने का प्रयास करता है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे **''दलालों से सावधान रहें''**।

16.33 नियुक्ति की पेशकश भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस प्रकार, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी पिछले चरण (चिकित्सा परीक्षा सहित) में अर्हता प्राप्त करने से किसी भी अभ्यर्थी को पद पर चयन या नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता है।

16.34 इस नोटिस में रेखांकित निर्देशो के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

दलालों से सावधान रहें। केऔसुब में भर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने भुगतान किया है या किसी को पैसे देने का वादा किया है तो आपको धोखा दिया जा रहा है और आप पैसे खो रहे हैं। यदि कोई आपके चयन के लिए पैसे की मांग करता है, तो तुरंत भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और संबंधित भर्ती केन्द्र के उप महानिरीक्षक को सूचित करें या ई–मेल के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम ac-rectt@cisf.gov.in पर सूचित करें।

(ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के दो भाग हैः

I.	वन टाइम रजिस्ट्रेशन
II.	परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना

भाग –1 (वन टाइम रजिस्ट्रेशन)

अभ्यर्थी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक स्थायी डेटाबेस होगा। केऔसुब द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन **'पंजीकरण फॉर्म'** और **'आवेदन पत्र'** भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले निम्न सूचना/दस्तावेजों को तैयार रखें –

(क) मोबाइल न. (ख) ई–मेल आईडी

पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करें :–

1.	केऔसुब की आधिकारिक वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2.	होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा। "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।
3.	नया पेज प्रदर्शित होगा। "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करें।
4.	वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित हैः
	क. मूल विवरण ख. अतिरिक्त और संपर्क विवरण ग. घोषणा।
5.	**'वन टाइमरजिस्ट्रेशन फॉर्म' भरने के लिए, कृपया निम्नलिखित चरणों का पालन करें:**
क.	व्यक्तिगत विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या आदि) को पंजीकरण फॉर्म के संबंधित कॉलम में दो बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है ताकि फॉर्म भरने में अनजाने में हुई गलतियों से बचा जा सके। यदि मूल और सत्यापित डाटा कॉलम के आंकड़ों सें मेल नही है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस आशय का एक अलग संकेत बाक्स दिया जाएगा।
ख.	अपना नाम ठीक वैसे ही भरें, जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में हैं । यदि, मैट्रिकुलेशन के बाद आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख करें।
ग.	अपने पिता का नाम ठीक से भरें।
घ.	अपनी माता का नाम ठीक से भरें।
ड़.	अपनी जन्मतिथि ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दी गई है।
च.	अपने लिंग के बारे में जानकारी प्रदान करें।
छ.	सबमिट बटन पर क्लिक करें। नया पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा।
ज.	अपना व्यक्तिगत विवरण जांचें और मूल विवरण भरें।
झ.	अपना कियाशील मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी भरें। यह भी नोट कर ले कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल के माध्यम से आपको संप्रेषित करेगा, वह केवल आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल–आईडी पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए भी उसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
ञ.	'घोषणापत्र' को ध्यान से पढ़ें, अगर आप घोषणापत्र से सहमत हैं तो '**फाइनल सबमिट**' बटन पर क्लिक करें।
ट	पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेज लिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा।
ठ.	अपनी पंजीकरण–संख्या का ''यूजरनेम'' के रूप में और आपके ईमेल पर प्रदान किए गए ''ऑटो–जेनरेटेड पासवर्ड'' का उपयोग करके लॉगिन करें।
टिप्पणी	**आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिकुलेशन परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरा जाना चाहिए जैसा कि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज किया गया है। त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी के मामले में आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।**

भाग–II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें :

क) जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (**अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो)**। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। **जिस तारीख को फोटो खींची गई है वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे।**

ख) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।**

ग) पीडीएफ प्रारूप में सभी संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां **(01 एमबी से अधिक नहीं),** उम्र के संबंध में (अर्थात जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक / एसएसएलसी/10 वीं प्रमाण पत्र, मूल निवास और अन्य शैक्षणिक योग्यता की तारीख) अपलोड करें ।

2. केऔसुब की आधिकारिक वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** पर लॉग ऑन करें और अप्लाई पार्ट टैब पर क्लिक करें।

3. नया पृष्ठ खुलेगा और आवश्यक विवरण जैसे 'पंजीकरण संख्या', 'पासवर्ड', 'कैप्चा' भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

4. पंजीकृत अभ्यर्थी केऔसुब भर्ती वेबसाइट अर्थात **https://cisfrectt.cisf.gov.in** में पंजीकरण के समय अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अपने अनंतिम 'पंजीकरण आईडी और पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं।

5. नया पेज प्रदर्शित होगा और "आरक्षक/ट्रेड्समैन–2024" के बटन पर क्लिक करें।

6. "आरक्षक/ट्रेड्समैन–2024" के बटन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी जिसमें आवेदन पत्र होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी द्वारा पहले भरा गया डेटा/विवरण, आवेदन पत्र में संबंधित क्षेत्रों में स्वतः भर जाएगा। शेष खाली क्षेत्र अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण बहुत सावधानी से भरें।

7. अभ्यर्थी द्वारा एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भरे जाने के बाद, उसे नीचे की तरफ दो बटन **"सेव एंड प्रीव्यू"** और **बंद करें** दिखाई देंगे, यदि अभ्यर्थी **बंद** करें बटन पर क्लिक करता है तो वह आवेदन पत्र को संपादित कर सकेगा। कोई विवरण सहेजा नहीं जाएगा । ।

8. एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भर जाने के बाद, घोषणा को ध्यान से पढ़ें और **"सबमिट"** बटन पर क्लिक करें, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह आपके द्वारा भरे गए सभी डेटा/विवरणों को सहेज लेगा।

9. **उपरोक्त क्र.सं.–1(क) में यथा विनिर्दिष्ट, अपना हाल का फोटो अपलोड करें जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित हो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह अधिक पुरानी न हो) ।**

10 **क्रमांक संख्या– 1 (ख) में यथा निर्दिष्ट अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।**

11. **आयु के प्रमाण के लिए मैट्रिक/एसएसएलसी/10वीं प्रमाणपत्र, वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा/12वीं प्रमाणपत्र, मूल निवास और कोई अन्य उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, की स्कैन की हुई क्र.सं.–1(ग) में यथा विनिर्दिष्ट, प्रति अपलोड करें ।**

12. सभी आवश्यक दस्तावेज और छवि अपलोड करने के बाद, पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाले भुगतान बटन पर भुगतान करने के लिए जारी बटन पर क्लिक करें।

13. अब **'भुगतान'** विंडो दिखेगी। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, उन्हें यह संदेश दिखाई देगा कि **आप शुल्क छूट के पात्र हैं** और उन्हें '**आवेदन प्रिंट** करें' का विकल्प मिलेगा।

14. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

15. शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट अथवा केडिट कार्ड अथवा यूपीआई अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी चालान विकल्प का चयन करता है तो अभ्यर्थी को सर्वर से शुल्क जमा करने के लिए चालान फार्म प्राप्त होता है। चालान फार्म प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में जाकर शुल्क जमा करना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी की औपचारिकता पूरी हो जाती है। बैंक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करेगा और केऔसुबको भेजेगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। 48 घंटे के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है।

16. भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं। उन्हें पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण के समय अपनी पात्रता के समर्थन में स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट जमा करना होगा।

चेतावनी :

(क) अभ्यर्थियों को सभी पंजीकृत डेटा को ध्यान से सत्यापित करना चाहिए। यदि किसी डेटा का गलत उल्लेख किया गया है, तो उसे'संपादित करें'' बटन पर क्लिक करके संपादित किया जा सकता है।

(ख). "सबमिट" बटन पर क्लिक करने पर, अब तक दर्ज किया गया डेटा/विवरण सर्वर में सहेजा जाएगा। यदि अभ्यर्थी ''संपादित करें'' बटन पर क्लिक करता है, तो डेटा/विवरण सहेजा नहीं जाएगा और अभ्यर्थी पंजीकरण विंडो/प्रक्रिया से बाहर निकलने में सक्षम होगा।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* .... पुत्र/पुत्री श्री ....गॉव/नगर* .... जो जिला/खंड*....................राज्य/संघ शासित क्षेत्र* ....जाति/जनजाति से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में की गई है :–

@	''संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951*
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951*
	(जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति सूचियॉ (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)
@	'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
@	'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
@	'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
@	'संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
@	'संवैधानिक (उतर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
@	'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
@	'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
@	'संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
@	'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
@	'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
@	'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990'
@	संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991
@	'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002
@	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (दूसरा संशोधन) 2002
@	'संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश 1959 यथासंशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976

2. ऐसे अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति के व्यक्तियों के बारे में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में अप्रवजन कर गए हों।

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती' .... पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी' ....गांव/नगर''............................जिला/खंड' ....राज्य/संधशासित क्षेत्र' ....जो कि ....जाति/जनजाति से संबंधित हों

जिसे राज्य/संधशासित क्षेत्र.....................................द्वारा जारी किए गए ....(जारी करने वाला प्राधिकृत प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्या ....दिनांक ....को जारी किया गया है।		
3. श्री/श्रीमती/कुमारी' .... और/अथवा/उसका' परिवार वास्तविक रूप से गांव/नगर'' ....जिला/खंड'.........................राज्य/संधशासित क्षेत्र' ....में रहते है ।		
स्थान........................		हस्ताक्षर..........................
दिनांक		**पदनाम................................. (कार्यालय की मुहर सहित) राज्य/संघीय क्षेत्र ....

जो लागू न हो वे शब्द काट दिये जाये।

@कृप्या राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का संदर्भ दें ।

% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो ।

टिप्पणी : यहां ''साधारणतया'' शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

****अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव के प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची।**

(i) जिला मजिस्ट्रेट /अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सब डिविजिनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)

(ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ।

(iv) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य सामान्यतः निवास करते हैं।

(v) प्रशासक/प्रशासन के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

टिप्पणी:–तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति के आवेदक **केवल राजस्व प्रभाग अधिकारी द्वारा** जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

<u>अनुलग्नक– IV</u>

<u>भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री, श्री.. गांव /नगर.......................................जिला/प्रभाग................................राज्य/संघ शासित क्षेत्र....................................के .... समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या ....दिनांक........................* के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी..और/अथवा उनका/उनके परिवार .... राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र के जिला/मंडल... में सामान्य रूप से रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93 स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों **(क्रीमी लेयर)** से संबंधित नहीं है।

दिनांक.....................................

जिलाधिकारी

उपायुक्त इत्यादि

(कार्यालय की मोहर सहित)

---

*प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति का उल्लेख अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है।

**समय समय पर यथा संशोधित।

टिप्पणी :– यहां ''साधारणतया'' शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

....सरकार

(प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्तियों का प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र सं.. **दिनांक...........................**

..................वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी... ग्राम/गली.. डाकघर .... जिला... पिन कोड..................... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ....के स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है क्योंकि उस पुरुष/महिला के परिवार की कुल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष .... के लिए 8 लाख (आठ लाख मात्र) से कम है। पुरूष/महिला के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई परिसंपत्ति नहीं है :–

I. 05 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि;
II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................जो...जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो

हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित.........................

नाम...

पदनाम...

*** नोट** : 1. आय में सभी स्त्रोत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं।

****नोट** : 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता–पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई–बहन साथ–साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

*****नोट** : 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/शहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है।

 # <u>आय और परिसंपत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची</u> :–

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नही होना चाहिए और
(iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं।

अनुलग्नक –VI

कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी .... पुत्र/पुत्री, श्री .... गांव... .... तहसील/तालुका.............................. जिला............................. राज्य............. के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- ❖ भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने की माप में छूट के लिए उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र के निवासी (गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी) के रूप में जाने जाते हैं।

- ❖ व्ह.......... (हिमाचल प्रदेश/ जम्मू और कश्मीर के लेह एवं लद्दाख क्षेत्र /पूर्वोत्तर राज्यों) से संबंधित है और उसके मामले में भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने में छूट देने पर विचार किया जाता है।

- ❖ वह ....जनजातीय समुदाय से संबंध रखता है और उसके मामले में भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने में छूट देने पर विचार किया जाता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांकः... जिला मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

❖ जो लागू न हो उन्हें काट दें।

....

अनुलग्नक – VII

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत सिविल पदो के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता का प्रारुप

मैं यह समझता हूँ कि यदि मेरा चयन भर्ती/परीक्षा के आधार पर, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है, हो जाता है तो मेरी नियुक्ति, नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी। मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत मुक्त/सेवानिवृत/कार्यभार मुक्त कर दिया गया है और मैं समय–समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं एवं पदों पर पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 के अनुसरण में भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभों का हकदार हूँ।

2. मैं यह भी समझता हूँ कि मैं इस परीक्षा में शामिल भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी समय, भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू रिक्तियों के आरक्षण में छूट का लाभ उठाते हुए सिविल साइड (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि) में कोई रोजगार प्राप्त किया है।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान : ....

नाम ....

दिनांक :....................................

अनुलग्नक – VIII

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाण–पत्र का प्रारूप

मैं, एतद् द्वारा, उपलब्ध सूचना के साथ, प्रमाणित करता हूँ कि श्री.. संख्या............................. पदनाम............................. नियुक्ति की निर्धारित अवधि को सशस्त्र बल में दिनांक .... को अपनी सेवा पूरा कर लेंगे।

नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान : ....

कार्यालय की मोहर

दिनांक :....................................

भूतपूर्व सैनिक द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता

मैं, ... जिसका अनुक्रमांक...................................... है.. परीक्षा 20......... ...... के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित रहूंगा।

(क) मैं समय–समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा और पद नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के संदर्भ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिए जाने वाले लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने पूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए दिए गए आरक्षण के फायदों का लाभ लेने के बाद नियमित आधार पर सिविल साइड (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि सहित) किसी भी सरकारी नौकरी का लाभ नहीं लिया है।

(ग) मैंने सिविल सेवा में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैं ....के कार्यालय में दिनांक..................................को .... के रूप शामिल हुआ हूँ। मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि मैंने उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदन के तिथि–वार विवरण के बारे में अपने वर्तमान नियोक्ता को स्वघोषणा/वचनबद्धता प्रस्तुत कर दी है जिसके लिए मैंने वर्तमान नियोक्ता को ज्वाइन करने से पहले ही आवेदन किया था।

(घ) मैंने सिविल साइड में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ लिया है। मैंने..................... ....के कार्यालय में दिनांक................................को ....के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए मैं केवल आयु में छूट के योग्य हूँ।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और पूर्णतः सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर कोई भी सूचना गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी अभ्यर्थिता/नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

हस्ताक्षर..

नाम...

अनुक्रमांक..

तिथि...

सशस्त्र बल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि.............

कार्यमुक्ति की तिथि..

अंतिम इकाई/कॉर्पस्...

मोबाईल सं. ....

ई–मेल आईडी..

अनुलग्नक –X

केऔसुबमें कार्यरत कार्मिकों के बच्चों/और पति/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि .... (अभ्यर्थी का नाम) केऔसुबनंबर .... पदनाम.................................... नाम.. के बच्चे/आश्रित/पति/पत्नी है जो केऔसुबइकाई..में तैनात है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक सेवारत कार्मिक के साथ रह रहा है। उसके बच्चे/पति/पत्नी/वार्ड के नाम को कार्मिक के सेवा रिकार्ड से जांच लिया गया है ।

(इकाई कमांडर के हस्ताक्षर)

नाम...

पदनाम..

इकाई...

(कार्यालय की मुहर सहित)

टिप्पणी : प्रमाण पत्र की एक प्रति सेवारत कार्मिक की व्यक्तिगत फाईल में रखी जानी चाहिए ।

अनुलग्नक – XI

सरकारी विभागों/उपकमों/स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रपत्र

मै यह घोषणा करता हूँ कि मै लिखित में अपने मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के प्रमुख को सूचित कर रहा हूँ कि मैंने केऔसुबके आरक्षक/ट्रेड्समैन के पद,जैसा मामला हो के लिए आवेदन किया है ।

दिनांक :.....................................

स्थान : ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम..........................

सरकारी विभागों / उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

'' प्रमाणित किया जाता है कि विभाग / कार्यालय को श्री .... को केऔसुबमें .... के पद / पदों के लिए आवेदन करने के लिए अनुमति प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। पुनः यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....को आज तक कोई दंड (छोटा / बड़ा) नहीं दिया गया है और इस विभाग / कार्यालय में उनकी सेवा के दौरान उनका प्रदर्शन ''**औसत**'' से ऊपर रहा है।

हस्ताक्षर

कार्यालय प्रमुख / नियंत्रण अधिकारी /

इकाई कमाण्डर का नाम और पदनाम

दिनांक :.....................................

अनुलग्नक – XIII

सरपंच / नम्बरदार / नायब तहसीलदार...का कार्यालय

फोटो

जम्मू और कश्मीर राज्य में रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी / श्रीमती ....पुत्र / पुत्री, पत्नी श्री ....पूर्व में गांव .... तहसील....................................... जिला......................................., भारत विभाजन से पूर्व (अब पाकिस्तान) के निवासी थे। वर्तमान में मकान संख्या ....गली / लेन संख्या....................................... मोहल्ला.......................... गांव...................... तहसील.. .... जिला..में रह रहे हैं जो पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी है जो भारत–पाकिस्तान के 1947 के युद्ध पश्चात यहां विस्थापित हो गए हैं।

सरपंच / नम्बरदार / नायब तहसीलदार